2424
24.10.18

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

आदेश

विषयः- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक का पैनल निर्माण एन0आई0सी0 पोर्टल के माध्यम से करने हेतु नीति निर्धारण में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक के चयन प्रक्रिया हेतु नीति निर्धारण एवं पारिश्रमिक की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.06.2016 (मद संख्या-31) की बैठक में दी गयी थी। इस आलोक में विभागीय आदेश संख्या-2344 दिनांक-22.07.2016 द्वारा अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक के चयन हेतु नीति निर्धारण एवं पारिश्रमिक का आदेश निर्गत किया गया।

2. उक्त आदेश के कंडिका-2(ख) में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशकों के चयन हेतु निम्नवत् नीति निर्धारण की प्रक्रिया थी-

(i) अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों के चयन के लिये निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के स्तर से एकीकृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) विज्ञापन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चयन के विकल्प का उल्लेख होगा।

(iii) आवेदक विकल्प के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन करते हुए संबंधित संस्थान में अपना आवेदन भेजेंगे।

(iv) संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों का डायरी तिथिवार किया जाएगा।

(v) प्राप्त आवेदनों को चयन समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसपर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

3. वर्तमान में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक के चयन में एकरूपता एवं पारदर्शिता रहे इस निमित एन0आई0सी0 द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त माध्यम से आवेदन प्राप्त कर पैनल बनाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

(i) एन0आई0सी0 द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों के पैनल, निर्माण के लिये ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में एकीकृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) आवेदक विकल्प के आधार पर जिला / औ0 प्र0 संस्थानों / व्यवसायों का चयन करते हुए एन0आई0सी0 द्वारा तैयार पोर्टल पर ऑन-लाईन आवेदन करेंगे।

(iii) एन0आई0सी0 द्वारा शैक्षिणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों के पैनल का निर्माण किया जाएगा।

(iv) एन0आई0सी0 से अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों के प्राप्त पैनल के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(v) एन0आई0सी0 से प्राप्त पैनल के अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों आदि की जाँच निदेशालय स्तर पर की जायेगी।

(vi) यह पूर्णतः वैकल्पिक व्यवस्था है। भविष्य में संविदा अथवा नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशक/अतिथि अनुदेशकों को प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

(vii) विभागीय आदेश संख्या-2344 दिनांक-22.07.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

4. तदनुसार श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंशकालीन / अतिथि अनुदेशक का पैनल निर्माण एन0आई0सी0 पोर्टल के माध्यम से करने हेतु नीति निर्धारण में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

23/10/18
(के0 सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 1/स्था0(6)अनु0-30/2016(पार्ट)- 2424 पटना, दिनांक- 24-10-18

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार/सभी कोषागार एवं उप कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 1/स्था0(6)अनु0-30/2016(पार्ट)- 2424 पटना, दिनांक- 24-10-18

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक के आप्त सचिव/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण, बिहार/क्षे0नि0पदा0, पटना/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु), पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित)/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

(32) आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग